रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 2, 2003/श्रावण 11, 1925

No. 367] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 2, 2003/SRAVANA 11, 1925

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2003

सा.का.नि. 628(अ).— केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुम्बई पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा वनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (अवकाश यात्रा रियायत) संशोधन विनियम 2003 का अनुमोदन करती है 1

2 ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगे 1

अनुसूची

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (अवकाश यात्रा रियायत) संशोधन विनियम, 2003

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मुं.पो.ट्र. का न्यासी मंडल कथित अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के तहत केन्द्र सरकार की अनुमति से एततद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है जैसे -

1. लघु शीर्ष एवं प्रारंभ -

(क) इन विनियमों को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (अवकाश यात्रा रियायत) (संशोधन) विनियम 2003 कहा जाएगा.

(ख) यह विनियम तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर केन्द्र सरकार की मंजूरी अधिकृत गजेट में प्रकाशित होने के दिन से लागू होंगे. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और गोदी श्रमिक मंडल के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों पर ये परिवर्तित अवकाश यात्रा रियायत विनियम 10.1.2000 से अर्थात सरकार ने दि.10.1.2000 के पत्र क्र.ए-290118/3/99-पीई-1 द्वारा इस संबंधी आदेश जारी करने के दिन से लागू हो चुके हैं.

<u>स्पष्टीकरण</u>

बताया जाता है कि, उक्त को पूर्वप्रभाव से लागू किए जाने के कारण किसी पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा.

<u>नोट</u> :

इस मामलें में, जहाँ अवकाश यात्रा रियायत पेशगी ली गयी है और यात्रा पुरी हुई है, वहाँ सुधारित दर लागू नही किए जाएँगे और किसी भी हालत में पुराने मामले फिर से खोले नहीं जाएँगे.

2. मुंपोट्र कर्मचारी (अवकाश यात्रा रियायत) विनियम 1992 के विनियम 9 के वर्तमान उप-विनियम (ए)(i) को निकालकर उस के स्थानपर निम्नलिखित को लागू किया जाता है:-

9. <u>यात्रा के लिए देय श्रेणी</u> :

(ए) रेल से जुडे स्थानों के बीच की यात्रा

(i) रेल से यात्रा करते समय कर्मचारी निम्न प्रकार की श्रेणी के लिए पात्र होंगे -

(क) पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष उनकी पसन्दनुसार नॅशनल कैरियर के हवाई जहाज से इकॉनॉमी (वाय) वर्ग में अथवा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी द्वारा यात्रा के हकदार होंगे. निजी एअरलाइनों से यात्रा करने की अनुमति नहीं है.

पोर्ट ट्रस्ट, गोदी श्रमिक मंडल (डीएलबी) के उपाध्यक्ष तथा मुंपोट्र और डीएलबी के अन्य सभी अधिकारी कार्यालयीन काम से दौरें पर होते हुए जिस श्रेणी के हकदार है उसी से रेल यात्रा के हकदार होंगे.

(ख) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी

मूलवेतन + नॉन प्रॅक्टीस भत्ता	साधारण	राजधानी एक्सप्रेस	शताब्दी एक्सप्रेस
11000 रुपये तथा उससे अधिक.	वातानुकूलित प्रथम दर्जा	वातानुकूलित प्रथम दर्जा	वातानुकूलित कुर्सी यान
8600 रुपये से 10999 रुपये तक	द्वितीय वातानुकूलित 2 टायर शयनयान/ प्रथम श्रेणी.	द्वितीय वातानुकूलित 2 टायर शयनयान	वातानुकूलित कुर्सी यान

(ग) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

क्रम. सं.	वेतन श्रेणी	साधारण रेलगाडी	राजधानी एक्सप्रेस	शताब्दी एक्सप्रेस
1.	9000 रुपये और उससे अधिक लेकिन 12000 रुपये से कम	द्वितीय वातानुकूलित 2 टायर शयनयान/ प्रथम श्रेणी/ वातानुकूलित 3 टायर	द्वितीय वातानुकूलित 2 टायर शयनयान	वातानुकूलित कुर्सी यान.
2.	5000 रुपये तथा उससे अधिक लेकिन 9000 रुपये से कम	प्रथम श्रेणी/ वातानुकूलित 3 टायर शयनयान/ वातानुकूलित कुर्सी यान.	वातानुकूलित कुर्सी यान	वातानुकूलित कुर्सी यान
3.	5000 रुपये से कम	दूसरा दर्जा शयनयान	—	—

(घ) छोटे परिवार को प्रोत्साहन देने के दृष्टि से अवकाश यात्रा रियायत केवल दो संतानों के लिए ही सीमित होगी. यह निर्बंधन अधिकारी के विद्यमान संतानों को तथा यह आदेश जारी होने की तिथि से एक साल के अन्दर जन्म लिए संतानों को तथा एक बच्चे के बाद जन्म लिए जुडवा बच्चों को लागू नहीं है.

(च) चार वर्षीय खंड में अवकाश यात्रा रियायत के अवसरों के बारे में यथापूर्व स्थिति जारी रखनी है.

(छ) अवकाश यात्रा रियायत का नकदीकरण नहीं होगा.

(झ) अवकाश यात्रा रियायत प्राप्त करने संबंधी अन्य सभी प्रचलित नियम, विनियम तथा शर्तें लागू रहेंगी.

टिप्पणी : राजधानी/शताब्दी रेलों द्वारा यात्रा के दावें केवल तब ही स्वीकार्य होंगे, जब यात्रा वॉस्तव में इन्ही रेलगाडियों द्वारा की गयी हो. यात्रा के दोनों सिरें शताब्दी/राजधानी रेलगाडीसे सीधे जुडे हो.

जहाँ सीधे लघुतम मार्ग द्वारा संबंधित स्टेशनो को जोड़नेवाली किसी भी गाड़ी में इनमें से कोई भी श्रेणी उपलब्ध न हों वहाँ कर्मचारी वातानुकूलित 2 टायर से यात्रा कर सकते हैं.

2.1 उप-विनियम क्र.9(ए)(ii) से निम्नलिखित वाक्य हटाया जाय :-

"हवाई यात्रा के मामले में जो कर्मचारी दूसरे वातानुकूलित 2-टायर शयनयान/1 श्रेणी से यात्रा का हकदार है उसे 2 श्रेणी के वातानुकूलित 2 टायर शयनयान किराये की प्रतिपूर्ति की जाएगी" - तथा इसे आगे के अनुसार पढा जाय".

"केवल अध्यक्ष नेशनल कैरियर के हवाई जहाज में इकॉनॉमी (Y) श्रेणी से यात्रा के हकादार होंगे. यदि अन्य कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी रेल से जुड़े दो स्थानों के बीच नेशनल कैरियर हवाई जहाज द्वारा यात्रा करता है तो उनका अवकाश यात्रा रियायत दावा राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस छोडकर अन्य रेलगाड़ी से देय श्रेणी के किराये तक सीमित होगा."

2.2 मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (अवकाश यात्रा रियायत) संशोधन विनियम, 1992 के वर्तमान विनियम 9(ए)(vii) को रद्द समझा जाए.

2.3 वर्तमान विनियम 9 के वर्तमान उप-विनियम (बी)(i) को हटाकर उसके बदले निम्न का समावेश किया जाय -

(बी) रेल द्वारा जोड़े न गए स्थानकों के बीच की यात्रा :

(i) सडक से :

जहाँ निश्चित स्थानों के बीच नियमित अंतराल से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो और निर्धारित दर से किराया लगाया जाता हो, वहाँ परिवहन व्यवस्था द्वारा कर्मचारी को देय श्रेणी के लिये प्रभारित वास्तविक किराये की प्रतिपूर्ति की जायेगी.

उचित श्रेणी अर्थात -

(ए) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी : किसी भी किस्म की बस

(बी) जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रेल के 1 श्रेणी से यात्रा के लिए हकदार हैं उनके लिए - किसी भी किस्म की बस

(सी) अन्य तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - सामान्य अथवा एक्सप्रेस बस.

2.4 वर्तमान विनियम 9(सी) तथा 9(डी) से मूल वेतन के कॉलम में संशोधन करें तथा उसके बदले संशोधित वेतनमान के वेतन स्टेजेस का समावेश निम्न प्रकार से करें:

9(सी)

क्रम सं.	मूल वेतन	देय श्रेणी		
		एम.व्ही. अकबर	एम.व्ही. मजीद	अन्य
(ए)	सभी I तथा II श्रेणी अधिकारी	डिलक्स श्रेणी - संलग्न प्रसाधनगृह सहित	I श्रेणी	डिलक्स केबिन
(बी)	7860 रुपये और उससे ऊपर पाने वाले III श्रेणी कर्मचारी.	डिलक्स श्रेणी - संलग्न प्रसाधनगृह सहित	Iश्रेणी	I श्रेणी केबिन.
(सी)	5780 रुपये से अधिक लेकिन 7860 रुपये से कम वेतन पानेवाले कर्मचारी.	प्रथम श्रेणी संयुक्त प्रसाधनगृह.	I श्रेणी	I श्रेणी केबिन.
(डी)	5140 रुपये से अधिक लेकिन 5780 रुपये से कम वेतन पानेवाले कर्मचारी.	वातानुकूलित शयनगार	II श्रेणी	II श्रेणी केबिन.
(ई)	5140 रुपये से कम पाने वाले तृतीय श्रेणी के कर्मचारी.	वातानुकूलित शयनगार	सोफा	II श्रेणी "बी" केबिन.
(एफ)	सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	शायिका श्रेणी	जमीन पर बैठने की व्यवस्था.	शायिका वर्जा.

9(डी) स्टीमर से समुद्री यात्रा हेतु पात्रता :

क्रम सं.	मूल वेतन	देय श्रेणी
(ए)	I एवं II श्रेणी के अधिकारी	उच्चतम दर्जा
(बी)	7860 रुपये तथा उससे अधिक वेतन पानेवाले कर्मचारी.	उच्चतम दर्जा
(सी)	5780 रुपये से अधिक लेकिन 7860 रुपये से कम वेतन पानेवाले कर्मचारी.	दो प्रकार की श्रेणियाँ होने पर निम्न श्रेणी यदि दो से अधिक श्रेणियाँ हों तो मध्य अथवा दूसरी श्रेणी.
(डी)	5140 रुपये से अधिक लेकिन 5780 रुपये से कम वेतन पानेवाले कर्मचारी.	दो प्रकार के दर्जे होने पर, केवल निम्न दर्जा. दो से अधिक प्रकार के दर्जे होने पर मध्य अथवा दूसरा दर्जा.
(ई)	5140 रुपये से कम वेतन पाने वाले तृतीय श्रेणी के कर्मचारी.	यदि चार श्रेणीयाँ हो तो तीसरी श्रेणी.
(एफ)	चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारी.	निम्नतम श्रेणी.

2.5 वर्तमान विनियम 17 को विनियम 18 लिखा जाए और विनियम 17 में निम्न को जोडा जाए.

1) जब यात्रा रेल से, दूरतर मार्ग से अंशतः निम्न श्रेणी और अंशतः स्वीकृत/मान्य श्रेणी से की जाती है तो दावे को अनुपात आधार पर नियमित किया जाएगा. जिसमें दूरतर मार्ग से प्रत्यक्ष यात्रा के दौरान विशिष्ट श्रेणियों से क्रमशः जितनी दूरी तक यात्रा की; उसका अनुपात निकालकर विभिन्न प्रकार/श्रेणियों से लघुतम मार्ग से उसी अनुपात में माइलेज भत्ता दिया जाएगा.

2) यात्रा की श्रेणी के संबंध में किसी कर्मचारी को इस समय जो लाभ मिल रहा है, उसपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा अर्थात जो कर्मचारी पिछले विनियम के अनुसार श्रेणी का हकदार था उसे उसी श्रेणी का लाभ मिलता रहेगा.

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत सरकार के दि.26.3.1992 के राजपत्र में जीएसआर सं.365(ई) के तहत प्रकाशित किये गये थे.

[फा. सं. पी आर-12016/19/2001-पी ई-1]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2003

G.S.R. 628(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Munbai Port Trust Employees (Leave Travel Conceeesion) Amendment Regulations, 2003 made by the Board of Trustees of Mumnbai Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

MUMBAI PORT TRUST EMPLOYEES (LEAVE TRAVEL CONCESSION) AMENDMENT REGULATIONS° 2003

In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Section 28 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Mumbai, with the approval of the Central Government under sub-Section (1) of Section 124 of the said Act, hereby make the following Regulations, namely :-

1. Short Title and Commencement:

   a) These Regulations may be called the "Mumbai Port Trust Employees (Leave Travel Concession) (Amendment) Regulations, 2003."

   b) They shall come into force from the date of publication of the sanction of the Central Government in the Official Gazette in respect of Class III & IV employees. The modified Leave Travel Concession to Class I and II officers in the Major Port Trusts and Dock Labour Boards have become effective from 10.1.2000 i.e. the date of issue of Government's orders vide their letter No.A-29018/3/99-PE-I dated 10.1.2000.

Explanation

It is stated that no one is likely to be affected adversely as a result of retrospective effect given thereto.

Note :

In the circumstances of this case, where the LTC advances have already been drawn and journey completed, the revised rates will not be made applicable and under no circumstances past cases will be reopened.

2. Delete existing sub-regulation (A) (i) of Regulation 9 of MbPT Employees (Leave Travel Concession) Regulations 1992 and substitute it by the following:-

9. Class of Accommodation :

(A) Journey between places connected by rail.

(i) When travelling by railways, employees will be entitled to Class of accommodation as follows :

(a) Chairman of the Port Trust shall be eligible to travel by air by National Carriers by economy (Y) Class or A/c. 1st Class at his option. Journey by private airlines shall not be permitted.

Dy. Chairman of Port Trusts, Dock Labour Boards & all other officers of Port Trusts & Dock Labour Boards shall be entitled to travel by train by entitled class of accommodation as on tour.

(b) Class I and Class II officers.

Basic pay + Non-practising Allowance	Normal	Rajdhani Express	Shatabdi Express
Rs.11000 and above	AC 1st Class	AC 1st Class	AC Chair Car
Rs.8600 to Rs.10999	2nd AC 2 tier Sleeper/ 1st Class	2nd AC 2 tier Sleeper	AC Chair Car

(c) Class III and IV employees.

Sr. No.	Pay Range	Normal Trains	Rajdhani Express	Shatabdi Express
1.	Rs.9,000/- and above but below Rs12,000/-	2nd AC 2 Tier Sleeper/ 1st Class/ AC 3 Tier	2nd AC 2 Tier Sleeper	AC Chair Car
2.	Rs.5,000/- and above but below Rs.9, 000/-	1st Class/ AC 3 Tier Sleeper/ Ac chair car*	AC Chair Car	AC Chair Car
3.	Below Rs.5,000/-	Second sleeper	-	-

(d) With a view to encourage the small family norms, the facility of LTC shall be restricted to two surviving children only. The restriction of two surviving children shall not apply in respect of the existing children of an officer and the child born within one year from the date of issue of orders and also in case of multiple births after one child.

(e) With regard to number of occasions on which the LTC can be availed in a block of 4 years, the status quo shall be maintained.

(f) There shall be no encashment of LTC.

(g) All the other existing rules, regulations and conditions for availing LTC will continue to apply.

Note :

(i) Claim for travel by Rajdhani / Shatabdi Trains will be allowed only where journey is actually undertaken by these trains. Both ends of the journey should be directly connected by Shatabdi / Rajdhani Trains.

(ii) *Where none of the classes of accommodation is provided in any trains connecting the concerned stations by the direct shortest route, the employees may travel by A/c. two tier.

2.1 Delete the following sentence in sub-Regulation No.9(A)(ii):-

"In case of air travel, an employee entitled to travel by 2nd Class Air Conditioned two tier sleeper/1st Class will be reimbursed fare of 2nd Class Air Conditioned two tier sleeper" and replace it by following :-

"Only Chairman can travel by Air by National Carriers in economy (Y) class. If any other employee/officer travels by air in National Carriers, between places connected by rail, his claim for LTC will be restricted to the fare of the entitled class by rail other than Rajdhani/Shatabdi express."

2.2 Delete existing Regulation 9(A)(vii) of MbPT Employees (Leave Travel Concession) Amendment Regulations, 1992.

2.3 Delete existing sub-Regulation (B)(i) of Regulation 9 and substitute the following :-

B) Journeys between places not connected by rail :

(i) By road :

Where a public transport system with vehicles running between fixed points, at regular intervals and charging fixed fare rate exists, the assistance will be the fare actually charged by such a system for the appropriate class of accommodation of the transport system.

The appropriate class means :

(a) Class I and II Officers - Any type of bus.

(b) Class III and IV who are entitled to travel by 1st Class and above by rail: Any type of bus.

(c) Other Class III and IV employees - By ordinary or Express bus.

2.4 Modify the column of Basic Pay from existing Regulations 9(C) and 9(D) and replace it by pay stages in revised pay scales as stated below:

9(C)

Sr. No.	Basic Pay	Class entitled		
		M.V.Akbar	M.V.Majid	Others
(a)	All Class I & II Officers	Deluxe Class with attached toilet	I Class	Deluxe Cabin
(b)	Class III employees drawing Rs.7,860/- & above.	Deluxe Class with attached toilet	I Class	I Class Cabin
(c)	Class III employees drawing Rs.5,780/- & above but less than Rs.7,860/-.	I Class with common toilet	I Class	I Class Cabin
(d)	Class III employees drawing Rs.5,140/- & above but less than Rs.5,780/-.	A.C. Dormitory Class	II Class	II Class 'A' Cabin
(e)	Class III employees drawing less than Rs.5,140/-	A.C. Dormitory Class	Sofa	II Class 'B' Cabin
(f)	All Class IV employees	Bunk Class	Floor Sitting	Bunk Class

9(D) Entitlement for journey by sea by steamer :

Sr. No.	Basic Pay	Class entitled
(a)	Class I & II Officers	Highest Class.
(b)	Class III employees drawing Rs.7,860/- & above.	Highest Class
(c)	Class III employees drawing Rs.5,780/- & above but less than Rs.7,860/-	If there be two classes, the lower class. If there be more than two classes, the middle or the second class.

Sr. No.	Basic Pay	Class entitled
(d)	Class III employees drawing Rs.5,140/- & above but less than Rs.5,780/-	If there be two classes, only the lower class. If there be three classes, the middle or the second class.
(e)	Class III employees drawing less than Rs.5,140/-	If there be four classes, the third class.
(f)	All Class IV employees	The lowest class.

2.5 Renumber existing Regulation 17 as Regulation 18. Insert the following as Regulation 17 :-

1) When a journey is performed by a longer route by rail, partly by lower class and partly by the entitled class, the claim is to be regulated on proportionate basis by calculating mileage allowance for different modes/ classes by the shortest route in the ratio of distance covered by such modes by longer routes actually used.

2) The privileges with regard to Class of travel currently enjoyed by an employee will not be **ADVERSELY** affected i.e. to say, an employee who is already enjoying a higher class of accommodation vide the previous Regulation will continue to enjoy the same.

Note : The principal regulations were published in Government of India Gazette dated 26.3.1992 vide GSR No.365 (E).

[F.No. PR-12016/19/2001-PE-1]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.